

भारत का राजपत्र

The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 995]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2009/आषाढ़ 9, 1931

No. 995]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2009/ASADHA 9, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2009

का.आ. 1592(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1585(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2005 द्वारा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के 407.100 कि.मी. से 456.100 कि.मी. (जालंधर-अमृतसर सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 के 407.100 कि.मी. (जालंधर) (प्रोजेक्ट चैनेज 407.042 कि.मी.) से 456.100 कि.मी. (अमृतसर) (प्रोजेक्ट चैनेज 455.780 कि.मी.) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान दो लेन वाली सड़क को चार लेन की सड़क बनाने, विकास, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स जालंधर-अमृतसर टोलवे लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, पी-2, पहला तल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के

लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सेक्शन के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अन्तर्वर्तित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट यानों के प्रकार पर उसके स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आधार फीस दरों पर फीस उदग्रहीत करेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से इनमें से जो भी पश्चात् हो, उक्त करार में यथाविनिर्दिष्ट समाप्ति तक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

फीस का संग्रहण 410.140 कि.मी. और 442.890 कि.मी. पर स्थित प्लाजाओं पर किया जाएगा।

क्रम सं.	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान (प्रति कि.मी. आधार दर पर फीस)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री बैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक यान	0.70
3.	ट्रक, बस	1.40

(1)	(2)	(3)
4.	बहुधुरीय यान (>2 धुरीय)	2.25
5.	अर्धमूविंग उपस्कर और भारी सन्निमाण मशीनरी यान	3.00

टिप्पण :—

1. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :—

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के उपभोक्ताओं से निम्नलिखित के आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है;

(क) उक्त खंड की लम्बाई का आधा; और

(ख) उपर्युक्त सारणी में यथादर्शित आधार दर पर फीस और जो एक रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबन्धों के अनुसार उक्त सेक्शन के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शी द्वारा यथास्थिति, पूर्णता प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र, जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है।

(iii) "स्थानीय निजी यातायात" से ऐसे निजी यान (कार यात्री वैन या जीप) अभिप्रेत है, और सम्मिलित है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं जो सामान्यतया ऐसे स्थान पर निवास करता हो या कार्य करता हो जहाँ सामान्यतया उक्त सेक्शन के केवल एक भाग का उपयोग करके पहुँचा जा सकता है और जिसके लिए सिर्फ एक पथकर प्लाजा को पार करना पड़ता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने कार्यस्थल या निवास से आने या जाने के सामान्य अनुक्रम में उक्त सेक्शन के किसी भाग पर यात्रा करने के लिए ऐसे यान का उपयोग करना अपेक्षित है।

(iv) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से ऐसा वाणिज्यिक यान अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत बस, ट्रक या हल्के मोटर यान या टैक्सी भी हैं जो सामान और यात्रियों को लाने या ले जाने में लगी हैं, जो उक्त सेक्शन पर एक से अधिक पथकर प्लाजाओं को पार किये बिना नेमी रूप से चलाने के लिए रियायतग्राही के पास रजिस्ट्रीकृत हैं।

(v) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है।

(vi) उन शब्दों और पदों को जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त खंड के सम्बन्ध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं।

2. वास्तविक फीस तथा उसका पुनरीक्षण, जो कि प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी होगा, की संगणना निम्नानुसार की जाएगी :—
आधार फीस × थो.की.सू.ख × उक्त खंड की लम्बाई का 50% (कि.मी.में)
थो.की. सू.क

जहाँ

(i) थो.की.सू.क = जून 1997 को उपलब्ध थोक कीमत सूचकांक (131.4) है;

(ii) थो.की.सू.ख = पुनरीक्षण तारीख से पूर्व 31 मार्च तक समाप्त पूर्ववर्ती वर्ष में उपलब्ध औसत थोक कीमत सूचकांक है।

3. जब किसी यान को किसी दिन उक्त सेक्शन को एक दिन में एक से अधिक बार पार करना हो, तो उपयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले ही चक्कर में प्लाजा को पार करते समय सारणी में यथाविनिर्दिष्ट आधार दरों पर अनेक चक्करों के लिए फीस का डेढ़ गुना संदाय कर दे या यदि ऐसे यान को उक्त सेक्शन का पूरे मास में निरंतर और बार-बार प्रयोग करना हो तो उपयोक्ता उक्त सारणी में यथाविनिर्दिष्ट दर के तीस गुना दर पर मासिक पास प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "दिन" से चौबीस घंटे की निरंतर अवधि अभिप्रेत है।

4. निम्नलिखित प्रकार के यानों के संबंध में कोई फीस प्रभारित या संगृहीत नहीं की जाएगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे यान—

(क) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं :—

(क) भारत के राष्ट्रपति;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति;

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल;

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;

(ङ) "सी डी"/"सी सी" नंबर प्लेटों वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक;

(च) राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद् या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष या केंद्रीय अथवा राज्य मंत्री अथवा लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडलों के विपक्ष के नेता जिनकी हैसियत कैबिनेट मंत्री की है, यदि वे स्वयं यान में बैठे हों; या

(छ) सम्पूर्ण देश में संसद सदस्य, या अपने राज्य, किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य या राज्य विधान परिषद का सदस्य, यदि वह, यथास्थिति, संसद अथवा

राज्य के संबंधित विधान मंडल द्वारा जारी किया गया पहचान-पत्र प्रस्तुत करता है;

(ख) शौर्य पुरस्कारों अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र को विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित किया गया अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है :

- (ii) रक्षा यान, जिनके अंतर्गत वे यान भी हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (नौसेना को यथाविस्तारित) के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हैं।
- (iii) पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्वेषित यान, डाक और तार विभाग के यान, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान।

5. रियायतग्राही निम्नलिखित दरों से अधिक कोई फीस स्थानीय यातायात से वसूल नहीं करेगा अर्थात् :-

विवरण	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यानों पर लागू रियायती फीस का प्रतिशत
(i) स्थानीय निजी यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग यान की फीस का 25 प्रतिशत
(ii) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात	विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के यान की फीस का 50 प्रतिशत

परन्तु जहां स्थानीय यातायात मुक्त उपयोग के लिए पृथक् सेवा लेन उपलब्ध है, वहां रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत करे या यदि वे चार लेन राजमार्ग का उपयोग करते हैं।

6. जब कभी किसी सेवा लेन का निर्माण किया जाएगा तो रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोक्ताओं से कोई फीस संग्रहीत नहीं करेगा।

7. यदि किसी ऐसे यांत्रिक यान से कोई फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जाएगी जो उक्त सारणी के अधीन नहीं आते हैं।

8. रियायतग्राही, इस अधिसूचना का सार जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख भी है कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम दस दिन पहले और पुनरीक्षित फीस को भी प्रभावी बनाने के दस दिन पहले प्रकाशित करेगा।

9. रियायतग्राही ऐसे किसी अधिकारी को फीस संग्रहण के भार साधक के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो रियायतग्राही के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि फीस का संग्रहण करार की गई दरों से अधिक पर नहीं हो रहा है और फीस का संग्रहण सड़क उपयोक्ताओं को और उससे संबंधित विषयों के लिए असम्यक् कठिनाई पहुँचाए बिना सहज रूप से है।

10. फीस की दर फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता और टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जा सकेगी और पथकर प्लाजा से 500 मी. आगे, पथकर प्लाजा से 100 मी. आगे और पथकर प्लाजा पर भी

सहजदृश्य रूप से प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो सके।

11. उपयोक्ताओं से प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस का संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम पैंतालीस दिन पहले, यथासम्भव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, उक्त प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर कोई टीका-टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण यदि कोई हो मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान कोई टीका-टिप्पणी नहीं करता है या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई मानी जाएगी।

[फा. सं. एन एच ए आई/13013/448/08-09/सी.ओ./जीसी अमृतसर (407.1-456.1) बीओटी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2009

S.O. 1592(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1585 (E), dated the 10th November, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), hereinafter referred to as the said Act, the Central Government entrusted the stretch from Km 407.100 - Km 456.100 (Jalandhar - Amritsar section) of National Highway No.1 in the State of Punjab to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And, whereas, pursuant to the powers conferred by Section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s. Jalandhar Amritsar Tollways Limited having its registered office at P 2, First Floor, Green Park Extension, New Delhi-110016 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing two lane road to four lane divided carriageway from Km 407.10 (Jalandhar) (Project Chainage Km 407.042) to Km 456.100 (Amritsar) (Project chainage 455.780) of the National Highway No.1 in the State of Punjab (hereinafter referred to as the said section);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the

expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of said section at the rate specified in column (3) of the following Table, on the category of vehicles specified in column (2) thereof, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely :—

TABLE

The fee shall be collected at the Toll Plazas at Km. 410.140 and Km 442.890.

Sl. Category of Vehicle No.	Rate of base fee per Km per vehicle per one way trip (in rupees)
1. Car, Passenger Van or Jeep	0.40
2. Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3. Truck/Bus	1.40
4. Multi Axle Vehicle (>2 axle)	2.25
5. Earth moving equipment and heavy construction machinery	3.00

Notes :

1. For the purposes of this notification,—
 - (i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of :
 - (a) half of the length of the project highway;
 - (b) base fee given in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to the nearest one rupee;
 - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after issue of the completion certificate or the provisional completion certification as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of the said section in accordance with the provisions of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire;
 - (iii) "local personal traffic" means and includes a personal vehicle (car/passenger van/jeep) which is registered with the Concessionaire by any person who normally resides or works

at a place that can normally be approached only by using a part of the said section, such person is, therefore, required to use such vehicle for commuting on a part of the said section, without crossing more than one toll plaza, in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

- (iv) "local commercial traffic" means any commercial vehicle including buses, trucks, light motor vehicles or taxis engaged in carrying goods and passengers registered with the Concessionaire as plying routinely on the said section without crossing more than one toll plaza;
 - (v) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
 - (vi) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the meanings respectively assigned to them in the said Agreement.
2. The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows:

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI - B}}{\text{WPI - A}} \times 50\% \text{ of the length of the said section (in Km)}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4);
- WPI-B = is the average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.

3. When a vehicle has to cross the said section more than once in a day, the user shall have the option to pay the fee for multiple trips at one and half times the rates as given in the above Table while crossing the toll plaza in the first trip itself and where a vehicle has to use the said section continuously and frequently for the entire month or even beyond that, the vehicle owner may have a monthly pass on payment of charges equal to thirty times the rate applicable for single trip as specified in the aforesaid Table.

Explanation : For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

4. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely :—

(i) Vehicles—

(A) having VIP symbols or officially belonging to :

- (a) the President of India;
- (b) the Vice-President of India;
- (c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union Territory;
- (d) a Foreign dignitary on State visit to India;
- (e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
- (f) the Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislature Assembly or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;

(g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) Defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (as extended to Navy);

(iii) Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

5. Concessionaire shall not collect fees from Local Personal Traffic and Local Commercial Traffic in the excess of the following discounted rate :

- | | |
|------------------------------|---|
| (i) Local personal traffic : | Twenty five per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle. |
|------------------------------|---|

(ii) Local commercial traffic :	Fifty per cent of the applicable fee for the specified category of vehicle :
---------------------------------	--

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall levy and collect fee from such local traffic, if they use the four lane highway.

6. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

7. No fee shall be levied and collected from a mechanical vehicle, which is not covered under the above Table.

8. The Concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rate and the fee collection is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

10. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards.

11. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March, in every year but at least forty-five days before the revised rate is to be effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. NHAI/13013/448/08-09/CO/GC Amritsar
(407.1-456.1) BOT]

PRABHAKAR, Dy. Secy.